न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 82 / 2017(उदयपुर डिक्री)

1. श्रीमती बेतली पत्नी रतना जी भील, निवासी नया गुडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. सोहन पिता रतना जी भील, निवासी नया गुडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. नारू पिता लिम्बा जी भील, निवासी नया गुडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
2. काना पिता लिम्बा जी भील, निवासी नया गुडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
3. लालिया पिता चोखलिया जी भील, निवासी नया गुडा, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर
4. श्रीमती कनकी पिता चोखलिया भील, नि0 नया गुडा, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर
5. श्रीमती मोहनी पिता चोखलिया भील, नि0 नया गुडा, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर
6. श्रीमती नवली पिता चोखलिया भील, नि0 नया गुडा, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर
7. भूरा पिता भेरा जी भील, निवासी नया गुडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
8. श्रीमती नीता रोत पत्नी जयनारायण रोत (भील), नि. सी. 129, प्रतापनगर, उदयपुर
9. वीरजी पिता लिम्बा जी भील, निवासी नया गुडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
10. लिम्बा पिता लिम्बा जी भील, निवासी नया गुडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
11. रामा पिता लिम्बा जी भील, निवासी नया गुडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
12. होमा पिता लिम्बा जी भील, निवासी नया गुडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
13. हुरजी पिता लिम्बा जी भील, निवासी नया गुडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
14. दीता पिता पूना जी भील, निवासी नया गुडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान
काश्त0 अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय
डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा दिनांक
23–06–2016 प्रकरण संख्या 62/2012

———::———

उपस्थित (वक्त बहस) :– 1– श्री राजेश [illegible] अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री ललित कुमार [illegible] अभि.रे.सं. 1 से 3
3– श्री कमलेश [illegible] राजकीय अभिभाषक

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:53:34 IST
Reason: SelfAttested

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक 26—09—2023</u>

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 92—ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के बाप दादाओं की आराजियात कुल किता 27 रकबा 1.6900 हैक्टर जिसका वर्णन वाद पत्र की कमल संख्या 1 में किया गया है, मौका नया गुडा, तहसील गिर्वा में स्थित है। वादिया के पिता व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के बाप दादा के नाम उक्त भूमि थी, जो राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के पिता व प्रतिवादी संख्या 7 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई। उसके बाद खातदार लिम्बा व चोखलिया की मृत्यु हो गयी, जिसकी विरासत से उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 3 से 6 ने अपनी विरासत सही करवा ली, परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा अपने पिता की विरासत सही नहीं करवायी और व राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 8 से 14 के नाम दर्ज है, जबकि हमारे खानदान में प्रतिवादी संख्या 8 से 14 नाम का कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ। उक्त नाम पंचायत ने किस आधार पर लिखे, इसका कोई पता नहीं चला और न ही उक्त लोगों का उक्त भूमि पर कब्जा है। वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर मूल पुरूष भेरा जी थे। वादिया भेरा जी की मृत्यु बालपन में हो जाने से वादिया के माता ने वादिया को अपने पास रख लिया था तथा वादिया व उसके पति को अलग जमीन दे दी, जिस पर वादिया संख्या 1 का मकान बना हुआ है तथा वादिया अपनी मां द्वारा दी गयी भूमि पर काबिज चली आ रही है। वादीया को उसकी माता ने आराजी नंबर 466 से 470 कुल ड़ेढ़ बीघा भूमि दी थी, जिसके पड़ोस वाद पत्र की कमल संख्या 6 अनुसार होकर वादिया 60—70 वर्षो से निरन्तर काबिज है, जिससे वह उक्त भूमि अपने नाम दर्ज कराने की अधिकारी है। अतः वादिया को वाद पत्र की कमल संख्या 6 में वर्णित आराजियात का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 23—06—2016 से वादिया का खारिज कर दिया, जिसके विरूद्ध वादीया/अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 27—06—2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से वकील श्री ललित कुमार मीणा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 15 राज्य [illegible] की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:53:34 IST
Reason: SelfAttested

रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलान्ट व उनके अधिवक्ता को नहीं थी। दिनांक 20–06–2017 को नकले प्राप्त होने से उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर पत्रावली का मनन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने गुणावगुण पर बहस करते हुए अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को वक्त बहस पुनः दोहराया तथा बताया कि राजस्व कैम्प में पत्रावली नहीं आयी। अधिनस्थ न्यायालय ने मन मकसूद तरीके से निर्णय पारित किया है, जिसकी अपीलान्टगण को कोई जानकारी नहीं दी गयी। अधिनस्थ न्यायालय ने उसके नाम का कोई हस्तान्तरण दस्तावेज नहीं होने से तथा उसके पिता की मृत्यु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के पूर्व हो जाने के आधार पर वाद खारिज किया है, जबकि को उसकी माता द्वारा भूमि दी गयी थी एवं वादीया का वाद कब्जे के आधार पर था। वादिया ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से अपने वाद को साबित कराया है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने वाद खारिज कर दिया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री क निरस्त फरमायी जावे तथा अपीलान्ट/वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष उसे दिलाया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने निवेदन किया कि विवादित भूमि वादिया को किस प्रकार से हस्तान्तरित हुई इसका कोई रेकार्ड उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने वादिया का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। राजस्व रेकार्ड में विवादित आराजियात कुल किता 27 रकबा 1.6900 हैक्टर रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज है। अपीलान्ट/वादिया उक्त भूमि को अपनी माता से प्राप्त करना बताती है, जो इस बाबत् कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने भी अपने निर्णय में स्पष्ट अंकित किया है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:53:34 IST
Reason: SelfAttested

''वादिया के पिता अथवा उनके किसी वारिसान द्वारा किसी प्रकार का कोई विधिक स्थानान्तरण वादग्रस्त भूमि के संबंध में नहीं किया गया है। वादिया के पिता की मृत्यु हिन्दू उत्तराधिकार के 2005 संशोधिन से पूर्व हो चुकी थी।'' अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त आधारों पर वादीगण का वाद साबित नहीं होना मानकर खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। जहां तक कब्जे के आधार पर खातेदारी का प्रश्न है माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल के नवीनतम आदेशों अनुसार कब्जे के आधार पर खातेदारी देय नहीं है।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 23–06–2016 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 26–09–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:53:34 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.** .....

श्रीमती बेतली पत्नी रतना जी भील, नि0 नया गुड़ा, तह.गिर्वा, जि.उदयपुर व अन्य बनाम **नारू पिता लिम्बा जी भील, निवासी नयागुड़ा, त.गिर्वा, जि.उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**82 / 2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी .....**
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**23**.....माह.....**06**.....**2016**.....

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**26**.....माह.....**09**.....सन् **2023** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री नरेश जणवा**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री ललित कुमार मीणा**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 23–06–2016 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये ..... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**26**.....माह.....**09**.....**2023** को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:53:34 IST
Reason: SelfAttested